311
18/6/13

सं0 587 /XXIV(1)/2013-42/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
ननूरखेडा, देहरादून।

2– निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनॉक 17 जून, 2013

विषयः राज्य के सभी सरकारी/सहायता–प्राप्त/निजी स्कूलों में Lunch/Tiffin करने से पूर्व एवं बाद में बच्चों के हाथों को साबुन से धोने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सम्पादित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक रा0प0का0 के पत्र संख्या–89/एम0डी0एम0–33 (चिरायु)/2013–14 दिनांक 17.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि अन्य आयु–वर्ग की तुलना में छोटे बच्चे अस्वच्छ जल, गन्दगी, अपर्याप्त स्वच्छता व आरोग्य सम्बन्धी जानकारी के अभाव के कारण सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। साबुन से हाथ धोने की एक सामान्य सी आदत की वजह से डायरिया व अन्य अस्वच्छता जनित बीमारियों के संकमण से छोटे बच्चों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। मा0सं0वि0 मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–D.O.No.-13-2/2012-EE.5(MDM 1-2) दिनांक 19.06.2012 एवं पत्र दिनांक 17.04.2013 द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह् भोजन से पूर्व सभी बच्चों में साबुन से हाथ धोने की कार्यवाही को मुख्यधारा में सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0 के पत्र दिनांक 27.05.2013(प्रति संलग्न) द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एन0आर0एच0एम0 द्वारा ग्राम स्वच्छता कार्यकम के अन्तर्गत ग्रान पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि में से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूली बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन कय करने हेतु धनराशि की व्यवस्था वी0एच0एस0एन0सी0 मद से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राज्य के शासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ–साथ निजी / सहायता प्राप्त

विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र–छात्राओं को मध्यान्ह भोजन/टिफिन, लन्च करने से पूर्व अनिवार्य रूप से हाथ धुलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सारे निजी स्कूल भी इसको अपने संसाधनों से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायेंगे। इससे विभिन्न बीमारियों से बचाव के साथ–साथ बच्चों में स्वच्छता सम्बन्धी एक अच्छी आदत भी विकसित होगी। परिणामस्वरूप बच्चों द्वारा स्कूल के साथ–साथ घर पर भी स्वच्छता अपनायी जायेगी जो उनके बेहतर स्वास्थ्य में सहायक सिद्ध होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्रतिलिपिः संख्या एवं दिनांक तदैव।

1) निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन।
3) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4) मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, उत्तराखण्ड।
5) समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के समस्त विद्यालयों में उक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6) समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ की उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
7) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव।